महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या– 908 / नौ–9–2017–24ज / 17 T.C

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2017

विषय–जी0एस0टी0 एक्ट–2017 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का वर्ष 2015–16 का जी0एस0टी0 में समाहित कर का आधारभूत राजस्व अन्तिम किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एस0एस0–एक–इम्पावर्ड कमेटी सूचना–2017–18 / 524 / वाणिज्य कर,दिनांक 13.09.2017 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जी0एस0टी0 में समाहित कर के आधारभूत वर्ष 2015–16 के राजस्व को मदवार उल्लिखित करते हुये कुल धनराशि रू0 33,358,87 करोड़ अन्तिम की गयी है, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा विज्ञापनों पर वसूल किये गये राजस्व को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा सूचित वर्ष 2015–16 के विज्ञापनों पर वसूले गये कर की राशि का सक्षम आडिटेड एजेंसी से सत्यापन कराकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त राजस्व के सापेक्ष धनराशि को प्रदेश के वर्ष 2017–18 हेतु जी0एस0टी0 के आरक्षित राजस्व में सम्मिलित कराने का प्रयास किया जा सके।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश का वर्ष 2015–16 का जी0एस0टी0 में समाहित कर का आधारभूत राजस्व अन्तिम किये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या / अभिमत शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक–स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।